बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

पटना,दिनांक – 21/01/2014

प्र06–विविध–22/2013 खंड– 386 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण एवं पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य खाद्य आयोग के गठन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंम्भ । – (1) यह नियमावली "बिहार राज्य खाद्य आयोग नियमावली 2014" कही जाएगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा ।

(3) यह तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत होगी ।

2. परिभाषाएँ । – जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 ;

(ख) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है – बिहार सरकार ;

(ग) "राज्य आयोग" से अधिनियम की धारा 16 के अधीन गठित "बिहार राज्य खाद्य आयोग" अभिप्रेत है।

(घ) "जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा–15 (1) के अधीन प्रत्येक जिले में नियुक्त या पदाभिहित पदाधिकारी ।

(ड़) "पात्र गृहस्थी" से धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी और अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत आने वाली गृहस्थियां अभिप्रेत है ;

(च) "उचित दर दुकान" से ऐसी दुकान अभिप्रेत है, जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश द्वारा राशन कार्ड धारकों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए अनुज्ञप्ति दी गई ;

(छ) "खाद्यान्न" से चावल, गेहूँ या मोटा अनाज या उनका कोई ऐसा संयोजन अभिप्रेत है, जो ऐसे क्वालिटी सन्नियमों के अनुरूप है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर आदेश द्वारा अवधारित किए जाएं ;

(ज) "खाद्य सुरक्षा" से अध्याय 2 के अधीन विनिर्दिष्ट खाद्यान्न और भोजन की हकदार मात्रा का प्रदाय अभिप्रेत है ;

(झ) "खाद्य सुरक्षा भत्ता" से धारा 8 के अधीन हकदार व्यक्तियों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा संदत्त की जाने वाली धनराशि अभिप्रेत है ;

(ञ) "पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी" से धारा 10 के अधीन उस रूप में पहचान किए गए गृहस्थी अभिप्रेत है ;

(ट) "लक्षित जन वितरण प्रणाली" से उचित दर की दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण की प्रणाली अभिप्रेत है ;